पत्र संख्या–6 एस०एस०(6)09 / 2019–2557

बिहार सराकर
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, भा०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले०एवं हक०),बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 29 / 5 / 2026.

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– *आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– राज्य योजनान्तर्गत मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में ₹ 877.60 लाख (आठ करोड़ सतहत्तर लाख साठ हजार रु०) मात्र की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–2178, दिनांक–19.05.2025 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त राज्य योजनान्तर्गत मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में ₹ 877.60 लाख (आठ करोड़ सतहत्तर लाख साठ हजार रु०) मात्र की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्कीम का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I एवं II के रूप में संलग्न।

2. मत्स्य प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों / योजनाओं तथा अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालन, विभिन्न प्रकार की योजनाओं का सूत्रण, गठन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, प्रबंधन तथा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ चतुर्थ कृषि रोड मैप में निर्धारित लक्ष्यों को ससमय सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सहायक होगी। साथ ही, मत्स्य पालको की प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण किया जा सकेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन से मत्स्य निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण, मत्स्य उत्पादन मे गुणात्मक वृद्धि तथा मछुआरों / मत्स्य पालकों का आर्थिक उत्थान में सहायक होगा।

3. योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक का भुगतान, डाटा बेस –सह– सूचना केन्द्र की स्थापना हेतु पूर्व से सृजित पाँच पदों के अवधि विस्तार, मत्स्य निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से 33 वाहन चालकों की नियत पारिश्रमिक पर लेने की योजना तथा मत्स्य निदेशालय स्तर पर कंसल्टेंसी एवं सर्विसेज प्राप्त करने हेतु PMU/PIMC एवं अन्य के गठन हेतु सेवा प्रदाता के माध्यम से मानव बल आदि की सेवा प्राप्त किया जाएगा। योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2026–27 में किया जायेगा।

4. वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन योजना" उपशीर्ष के तहत निम्नलिखित चार योजनाएँ प्रस्तावित है :–

(1) बेल्ट्रॉन के माध्यम से प्राप्त एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक भुगतान की योजना :–

1 Typed by Sanjay Kumar

Scanned with OKEN Scanner

i) चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल ₹ 8,60,000/–(आठ लाख साठ हजार रु० की लागत व्यय पर इस योजना के तहत एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के स्वीकृत पद का पद सहित योजना का अवधि विस्तार की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

ii) विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 24 दिनांक–16.02.2012 द्वारा इसी योजना के अधीन स्वीकृत राशि से बेल्ट्रॉन के माध्यम से एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। सम्प्रति बेल्ट्रॉन के माध्यम से इस उपशीर्ष अन्तर्गत एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा मत्स्य निदेशालय में ली जा रही है जिसके पारिश्रमिक राशि एवं किसी भी प्रकार के बकाए का बेल्ट्रॉन द्वारा अनुमान्य विपत्र आधार पर योजनान्तर्गत–0101.28.02 –संविदा सेवायें विषय शीर्ष में उपबंधित एवं स्वीकृत राशि से भुगतान किया जाएगा।

iii) बेल्ट्रॉन के पत्र संख्या–MP-29/2024 दिनांक–10.01.2024 के आलोक में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का मार्च, 2027 तक के पारिश्रमिक का भुगतान भी इस योजना के तहत स्वीकृत राशि से किया जा सकेगा।

iv) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना होंगे।

(2) मत्स्य निदेशालय के अधीन डाटा बेस–सह–सूचना केन्द्र की स्थापना हेतु पूर्व सृजित पाँच पदों के अवधि विस्तार की योजना :–

i) विभागीय स्वीकृत्यादेश–25, दिनांक–31.03.2011 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 2452, दिनांक 31.07.2017 के क्रम में इस योजना के तहत सृजित एवं स्वीकृत पाँच पदों का अवधि विस्तार लगातार की जा रही है। यह योजना मत्स्य निदेशालय के लिए महत्वपूर्ण योजना होने के कारण राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए कुल रुपये 49,00,000 (उन्चास लाख रुपये) मात्र की लागत व्यय पर इस योजना के तहत सृजित एवं स्वीकृत पदों का अवधि विस्तार की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

ii) डाटा बेस–सह–सूचना केन्द्र में सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी के एक पद तथा मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के दो पद सृजित हैं और लगातार अवधि विस्तार हो रहा है। संविदा के आधार पर नियोजित मत्स्य प्रसार पदाधिकारी को पारिश्रमिक के रूप में ₹ 41,000/–रु० प्रति माह की दर से भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में दोनो पद रिक्त है।

iii) सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर नियोजित योग्य प्रबंधन (वित्त) स्नातकोत्तरधारी कर्मी को नियत पारिश्रमिक के रूप में ₹42,000/–रुपये प्रति माह देय होगा।

iv) इसी योजना के अधीन डाटा बेस–सह–सूचना केन्द्र में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के सृजित दो पदों पर बेल्ट्रॉन के माध्यम से दो डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवाएँ ली जा रही है जिनके पारिश्रमिक एवं किसी प्रकार के बकाया राशि (संविदा सेवा के लिए मानदेय में होने वाली अभिवृद्धि सहित) का भुगतान बेल्ट्रॉन द्वारा अनुमान्य राशि के विपत्र के आधार पर किया जाएगा।

v) बेल्ट्रॉन के पत्र संख्या–MP-29/2024, दिनांक–10.01.2024 के आलोक में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का मार्च, 2027 तक के पारिश्रमिक का भुगतान भी इस योजना के तहत स्वीकृत राशि से किया जा सकेगा।

Scanned with OKEN Scanner

vii) डाटा बेस–सह–सूचना केन्द्र में उपर्युक्त सभी पाँचों पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मी के पारिश्रमिक एवं बकाया का भुगतान योजना अन्तर्गत–0101 28 02 –सविदा सेवायें विषय शीर्ष में उपबंधित एवं स्वीकृत राशि से किया जाएगा।

viii) डाटा बेस–सह–सूचना केन्द्र द्वारा ही मत्स्य विकास के योजना से संबंधित प्रतिवेदन तैयार किए जाते है तथा जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों का संकलन एवं अन्य विभागीय कार्य भी किया जाता है। डाटा बेस–सह–सूचना केन्द्र में अधिष्ठापित कम्प्यूटर तथा फोटो स्टेट मशीन के वार्षिक रख–रखाव, इनके कार्टिज एवं कम्प्यूटर से प्रिंटिंग हेतु कागज, कार्यालय सज्जा, नेट कनेक्टीविटी, विभागीय पदाधिकारियों की बैठकों एवं अन्य पर होने वाला व्यय योजनान्तर्गत–0101.13.01–कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में उपबंधित एवं स्वीकृत राशि से किया जाएगा।

viii) निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

(3) मत्स्य निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से वाहन चालक नियत पारिश्रमिक पर लेने की योजना :–

i) गत वित्तीय वर्ष में मत्स्य निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में स्वीकृत रिक्त वाहन चालक के पदों के विरूद्ध बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना से उनके द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक के आधार पर चालकों की सेवा अगले एक वर्ष के लिए प्राप्त करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसे आगे भी चालू रखना आवश्यक है। इसलिए चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल ₹ 140,00,000 (एक करोड़ चालीस लाख रुपये) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर मत्स्य निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से 33 (तेत्तीस) वाहन चालकों की सेवा नियत पारिश्रमिक (सभी कर सहित) पर लिये जाने की योजना की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

ii) उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड पटना को राज्य के विभागों एवं अन्य संगठनों के लिए मासिक भुगतान पर आधारित वाहन चालक उपलब्ध कराने हेतु "राज्य क्रय संगठन" घोषित है। इस संगठन के माध्यम से कोई भी विभाग/निकाय अपनी आवश्यकतानुसार उनके द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक पर वाहन चालकों की सेवा ली जा सकती है। इसके लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, पटना द्वारा समर्पित विपत्र के आधार पर सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रति माह भुगतान किया जाएगा। बकाया पारिश्रमिक/जी०एस०टी० का भी भुगतान योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि से ही किया जाएगा।

iii) इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में चल रहे मात्स्यिकी विकासात्मक कार्यों के अनुश्रवण, प्रबंधन एवं निरीक्षण/मूल्यांकन हेतु बिहार पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से नियत पारिश्रमिक पर चालकों की सेवा चालक के रिक्त पदों के विरूद्ध प्राप्त कर मत्स्य प्रभाग के तहत पूर्व से उपलब्ध वाहन का सदुपयोग करना है।

Scanned with OKEN Scanner

iv) मत्स्य निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु बिहार पर्यटन विकास , लिमिटेड, पटना के माध्यम से वाहन चालक नियत पारिश्रमिक पर एक वर्ष लिए ली जाने वाली सेवा की कार्यालयवार विवरणी अनुलग्नक–II संलग्न है।

v) इस योजना अन्तर्गत राशि का व्यय विषय शीर्ष–0101.28.02–संविदा सेवायें के तहत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

vi) निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र (संबंधित) एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (संबंधित) इस योजना के बजट शीर्ष के अन्तर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

(4) मत्स्य निदेशालय एवं अधिनस्थ कार्यालयों हेतु बाह्य श्रोत से सेवा प्रदाता संस्था से मानव बलों की सेवा प्राप्त करने की योजना :–

i) ध्यातव्य हो कि वर्तमान सेवा प्रदाता एजेंसी (Dreamline Technology Pvt. Ltd., Patna) द्वारा मत्स्य निदेशालय एवं अधिनस्थ कार्यालयों में प्रदत सेवा समाप्ति के उपरांत देय चालू एवं बकाया राशि (GST सहित) का भुगतान तथा प्रस्तावित PIMC (Project Implementation and monitoring Cell) की निविदा द्वारा चयन पर संभावित व्यय आदि को दृष्टिपथ में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में ₹680.00 लाख (छः करोड़ अस्सी लाख रु०) मात्र व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है। उल्लेखनीय है कि मत्स्य निदेशालय एवं अधिनस्थ कार्यालयों में लगभग 157 विभिन्न स्पोर्टिंग मानव बल की सेवा PMU से ली जा रही है।

ii) इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के तहत संचालित एवं क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं का सूत्रण, गठन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, प्रबोधन तथा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग करना है। यह कोषांग निदेशक मत्स्य के दिशा–निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा। इस कोषांग का यह दायित्व होगा कि मत्स्य प्रभाग के तहत चतुर्थ कृषि रोड मैप में अनुशंसित, प्रस्तावित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में विभागीय पदाधिकारियों से तकनीकी सलाह हेतु समन्वय स्थापित कर योजनाओं का सूत्रण, गठन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, प्रबोधन आदि कार्य करेंगे ताकि अनुमोदित कृषि रोड मैप में निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा के अन्दर सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके।

iii) इस योजना के तहत स्वीकृत राशि का विकलन विषय शीर्ष–0101.28.02 –संविदा सेवाएँ के तहत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा। निदेशक, मत्स्य के द्वारा चयनित सेवा प्रदाता संस्था से प्राप्त विपत्रों के आधार पर राशि कोषागार से आहरित कर भुगतान किया जाएगा।

iv) इस योजना के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना होंगें।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र (सभी) एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे। निदेशक, मत्स्य इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव की अनुमति से निदेशक, मत्स्य संशोधन/दिशा निर्देश निर्गत करेंगे।

 Typed by Sanjay Kumar

Scanned with OKEN Scanner

7. योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के अनुरूप निदेशक, मत्स्य के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

8. चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के तहत होने वाले व्यय मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001 –निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–0101 –मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन विपत्र कोड 02–2405000010101 के तहत विभिन्न विषय शीर्षो के तहत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा। इसके लिए समुचित बजट उपबंध उपलबध है।

9. चूंकि उपरोक्त चार प्रकल्पों की स्कीम एक चालू स्कीम है। इसलिए बिहार कार्यपालिका (संशोधन) नियमावली के नियम–21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची के नियम–"क" एवं उप नियम–4 एवं नियम–ग के उप नियम–2 में सन्निहित प्रावधान तथा वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान एवं वित्तीय शक्ति के आलोक में इस स्कीम की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)09/2019 के पृष्ठ–120/टि० एवं दिनांक–21.05.2026.

10. निदेशक, मत्स्य का यह दायित्व होगा कि इस योजना के तहत संचालित चार प्रकल्पों के सफल क्रियान्वयन हेतु पूर्णरूपेण जबावदेह होंगे तथा योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपने अधीनस्थ कार्यकारियों को अपेक्षित निदेश जारी करेंगे।

11. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)09/2019 के पृष्ठ–117/टि० तथा डायरी संख्या–235, दिनांक–16.04.2026.

12. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव की अनुमति से निदेशक, मत्स्य संशोधन/दिशा–निर्देश निर्गत करेंगे।

13. इस राज्यादेश में निहित राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवि)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)09/2019–2557 /पटना–15, दिनांक– 29/5 /2026.

प्रतिलिपि :–अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)09/2019–2557 /पटना–15, दिनांक– 29/5 /2026.

प्रतिलिपि :–अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)09/2019–2557 /पटना–15, दिनांक– 29/5 /2026.

प्रतिलिपि :–अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार)/उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/निदेशालय के सभी पदाधिकारियों/मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/विपत्र शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)09/2019–2557 /पटना–15, दिनांक– 29/5 /2026.

प्रतिलिपि :–अनुलग्नक सहित प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)09/2019–2557 /पटना–15, दिनांक– 29/5 /2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा–06 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)09/2019–2557 /पटना–15, दिनांक– 29/5 /2026.

प्रतिलिपि :–अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

Scanned with OKEN Scanner

अनुलग्नक–I

चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के पुनर्गठन योजना के तहत ली जाने वाली चार प्रकल्पों (स्कीमों) पर होने वाले संभावित व्यय का विवरणी:–

(राशि लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6
1	बेल्ट्रॉन के माध्यम से प्राप्त एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक भुगतान की योजना।	0101.28.02 –संविदा सेवायें	8.60	निदेशक मत्स्य / उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र (सभी) / जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)	कोषागार (सभी) बिहार
	कुल :–		**8.60**		
2	मत्स्य निदेशालय के अधीन डाटा बेस –सह– सूचना केन्द्र की स्थापना हेतु पूर्व सृजित पाँच पदों के अवधि विस्तार की योजना।	0101.13.01 –कार्यालय व्यय	20.00		
		0101.28.02 –संविदा सेवायें	29.00		
	कुल :–		**49.00**		
3	मत्स्य निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से वाहन चालक की सेवा नियत पारिश्रमिक पर लेने की योजना।	0101–28.02 –संविदा सेवायें	140.00		
4	मत्स्य निदेशालय एवं अधिनस्थ कार्यालयों हेतु बाह्य श्रोत से सेवा प्रदाता संस्था से मानवबलों की सेवा प्राप्त करने की योजना।	0101–28.02 –संविदा सेवायें	680.00		
		कुल योग :–	**877.60**		

कुल रुपये (आठ करोड़ सतहतर लाख साठ हजार रु०) मात्र।

सरकार के संयुक्त सचिव

2557
29/5/26

Scanned with OKEN Scanner

अनुलग्नक–II

चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में मत्स्य निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना के माध्यम से के नियत पारिश्रमिक पर सेवा लिये जाने वाले चालक की कार्यालयवार विवरणी।

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	पदों की सं0	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	उप मत्स्य निदेशक, तिरहुत परिक्षेत्र, मुजफ्फरपुर	1	
2	उप मत्स्य निदेशक, दरभंगा परिक्षेत्र, दरभंगा	1	
3	उप मत्स्य निदेशक, पटना परिक्षेत्र, पटना	1	
4	जिला मत्स्य पदाधिकारी, भोजपुर	1	एक चालक की सेवा मत्स्य निदेशालय हेतु।
5	जिला मत्स्य पदाधिकारी, बक्सर	1	एक चालक की सेवा मत्स्य निदेशालय हेतु।
6	जिला मत्स्य पदाधिकारी, गया	1	
7	जिला मत्स्य पदाधिकारी, पटना	1	एक चालक की सेवा मत्स्य निदेशालय हेतु।
8	जिला मत्स्य पदाधिकारी, नवादा	1	
9	जिला मत्स्य पदाधिकारी, जहानाबाद	1	
10	जिला मत्स्य पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	1	
11	जिला मत्स्य पदाधिकारी, सीतामढ़ी	1	
12	जिला मत्स्य पदाधिकारी, सिवान	1	
13	जिला मत्स्य पदाधिकारी, पू0 चम्पारण	1	
14	जिला मत्स्य पदाधिकारी, प0 चम्पारण	1	
15	जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधुबनी	1	
16	जिला मत्स्य पदाधिकारी, सहरसा	1	
17	जिला मत्स्य पदाधिकारी, पूर्णियाँ	1	
18	जिला मत्स्य पदाधिकारी, अररिया	1	
19	जिला मत्स्य पदाधिकारी, किशनगंज	1	
20	जिला मत्स्य पदाधिकारी, कटिहार	1	
21	जिला मत्स्य पदाधिकारी, भागलपुर (दो पद)	2	एक चालक जि0म0कार्या0 बाँका हेतु बाँका जिला में पद सृजित नहीं है।
22	जिला मत्स्य पदाधिकारी, खगड़िया	1	
23	जिला मत्स्य पदाधिकारी, बेगूसराय	1	
24	जिला मत्स्य पदाधिकारी, लखीसराय	1	
25	जिला मत्स्य पदाधिकारी, दरभंगा	1	
26	जिला मत्स्य पदाधिकारी, छपरा	1	
27	जिला मत्स्य पदाधिकारी, समस्तीपुर	1	
28	जिला मत्स्य पदाधिकारी, नालंदा	1	
29	जिला मत्स्य पदाधिकारी, अरवल	1	
30	जिला मत्स्य पदाधिकारी, मुंगेर	2	एक चालक जि0म0कार्या0 जमुई हेतु जमुई जिला में पद सृजित नहीं है।
31	जिला मत्स्य पदाधिकारी, रोहतास	1	
	कुल योगः–	**33**	

सरकार के संयुक्त सचिव

2557/29/5/26